

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर(छ.ग.)

—: आदेश :-

क्रमांक/831/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2021

रायपुर, दिनांक 29/07/2021

छत्तीसगढ़ शासन तथा इस कार्यालय द्वारा कोविड-19 रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्रमांक 10 अंतर्गत गुरुतेग बहादुर नगर, महावीर नगर, रानी दुर्गावती वार्ड क. 50, रायपुर (थाना न्यू राजेन्द्र नगर) में 02 से अधिक नये कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तथा कन्टेनमेंट जोन की परिसीमाए निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

1.	पूर्व में	राजेश हेयर ड्रेसर तक
2.	पश्चिम में	आर.एन. प्रसाद के मकान तक
3.	उत्तर में	सतगुरु किराना स्टोर तक
4.	दक्षिण में	निर्माणधीन मकान तक

A. कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :-

- उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश/निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी/आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे।
- उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगे।
- प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जावेगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इसिडेंट कमांडर द्वारा दी जावेगी।
- कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन/मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इसिडेंट कमांडर को सूचित किया जावे।
- आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सेनिटाइजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे।
- कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईड लाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर द्वारा संबंधित क्षेत्र में भारत सरकार एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

B. कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही हेतु निम्नानुसार दायित्व सौंपा जाता है :-

1.	कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश/निकास हेतु केवल 01 द्वार की व्यवस्था हेतु वैरिकेंडिंग	-	श्री सी.एस.चंद्राकर, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 01, रायपुर मो.नं. 94252 04299
2.	लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार वैरिकेंडिंग हेतु यांस-बल्ली की आपूर्ति	-	श्री विश्वेश कुमार, वनमंडलाधिकारी, रायपुर वन मंडल, रायपुर मो.नं. 9425268895
3.	कन्टेनमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था	-	दिनेश कोशरिया, जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 10, न.पा.नि. मो.नं. 7691903630

अतिरिक्त नगर निरीक्षक
रायपुर (छ.ग.)

4.	घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मारक, पी.पी.ई. इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमैडिकल अपशिष्ट प्रबंधन	-	श्रीमती मीरा बघेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 9425516797
5.	उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसिडेंट कमांडर	-	श्री मनीष देव साहू, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, रायपुर मो. नं. 97530 56999
6.	भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु	-	श्री विशाल कुजूर थाना प्रभारी, थाना न्यू राजेन्द्र नगर मो.नं. 94791 91046

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
(जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा आदेशित)

अपर कलेक्टर
एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 29/07/2021

पृ. क्रमांक/851/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2021
प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं पवित्र कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह(पुलिस)विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. डिवीजनल रेलवे मैनेजर, रायपुर रेलवे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. श्री मनीष देव साहू, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, रायपुर इंसिडेंट कमांडर जोन क्रमांक 10, नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. श्री दिनेश कोसरिया, जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 10, नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. श्रीमती मीरा बघेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. थाना प्रभारी, थाना न्यू राजेन्द्र नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. श्री सी.एस.चंद्राकर, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 01, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



अपर कलेक्टर
एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर (छ.ग.)